रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2008/आषाढ़ 11, 1930
No. 920] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2008/ASADHA 11, 1930

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2008

का.आ. 1604(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ तिरानवेवां संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, **3.** रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अधीन, (ii) उर्वरक विभाग उप-शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(iii) औषध निर्माण विभाग ।"

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** शीर्षक के अधीन, **क. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग** उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि "1" का लोप किया जाएगा ;

(ख) **ख. उर्वरक विभाग** उप-शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

"ग. **औषध निर्माण विभाग**

1. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स, उनके सिवाय, जो अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई हैं ।

2. औषध निर्माण क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में आधारिक, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय ।

3. औषध निर्माण क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल का विकास और संबंधित सूचना का प्रबंधन ।

4. औषध निर्माण क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों पर शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृत्तियां सम्मिलित हैं, सूचना और तकनीकी मार्ग-निर्देश का आदान-प्रदान ।

5. औषध निर्माण संबंधी क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी का संवर्धन ।

6. औषध निर्माण अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सम्मिलित है ।

7. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर-क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय सम्मिलित है।

8. औषध निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय परिसंकटों से निपटने के लिए तकनीकी सहायता ।

9. राष्ट्रीय औषध निर्माण मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिसमें मूल्य नियंत्रण/मानीटरी से संबंधित कृत्य सम्मिलित हैं ।

10. राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों से संबंधित सभी मामले ।

11. विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता ।

12. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।

13. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ।

14. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।

15. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।

16. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।"

(ग) **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** शीर्षक के अधीन,-

(i) **क. युवक कार्यक्रम विभाग** उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"16. विदेशों के साथ युवक प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान ।"

(ii) **ख. खेल विभाग** उप-शीर्षक के अधीन,-

(क) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।"

(ख) प्रविष्टि 13 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"14. शारीरिक शिक्षा ।"

प्रतिभा देवीसिंह पाटील
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2008-मंत्रि.]
के. एल. शर्मा, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2008

S.O. 1604(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Ninety Third Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the FIRST SCHEDULE, under the heading 3. Ministry of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya), after the sub-heading (ii) Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag), the following sub-heading shall be inserted, namely :-

"(iii) Department of Pharmaceuticals (Aushadh Nirman Vibhag)."

(2) In the SECOND SCHEDULE,-

(A) under the heading **MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)**, under the sub-heading **A. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG)**, entry "1" shall be omitted;

(B) after the sub-heading **B. DEPARTMENT OF FERTILIZERS (URVARAK VIBHAG)** and entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

"C. DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS (AUSHADH NIRMAN VIBHAG)

1. Drugs and Pharmaceuticals, excluding those specifically allotted to other departments.

2. Promotion and co-ordination of basic, applied and other research in areas related to the pharmaceutical sector.

3. Development of infrastructure, manpower and skills for the pharmaceutical sector and management of related information.

4. Education and training including high end research and grant of fellowships in India and abroad, exchange of information and technical guidance on all matters relating to pharmaceutical sector.

5. Promotion of public – private – partnership in pharmaceutical related areas.

6. International co-operation in pharmaceutical research, including work related to international conferences in related areas in India and abroad.

7. Inter-sectoral coordination including coordination between organizations and institutes under the Central and State Governments in areas related to the subjects entrusted to the Department.

8. Technical support for dealing with national hazards in pharmaceutical sector.

9. All matters relating to National Pharmaceutical Pricing Authority including related functions of price control/monitoring.

10. All matters relating to National Institutes for Pharmacy Education and Research.

11. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

12. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited.

13. Hindustan Antibiotics Limited.

14. Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited.

15. Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited.

16. Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited."

(C) under the heading **MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA,-**

(i) under the sub-heading **A. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS (YUVAK KARYAKRAM VIBHAG)**, for entry 16, the following entry shall be substituted, namely:-

"16. Exchange of Youth Delegation with foreign countries."

(ii) under the sub-heading **B. DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG),-**

(A) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:-

"10. Exchange of Sports persons, experts and teams with foreign countries."

(B) after entry 13, the following entry shall be added, namely:-

"14. Physical Education."

PRATIBHA DEVISINGH PATIL
President

[F. No. 1/22/1/2008-Cab.]
K. L. SHARMA, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.